

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
गध्याह्न भोजन योजना निदेशालय
(बिहार राज्य गध्याह्न भोजन योजना समिति)
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना-800001
अनुबंध के आधार पर वाहन हेतु अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण

NIT NO- 110.....

“बिहार राज्य गध्याह्न भोजन योजना समिति” बिहार पटना कार्यालय हेतु अनुबंध के आधार पर किराया पर वाहन मासिक दर एवं दैनिक दर पर निविदा अभ्यर्त्रित की जा रही है। निविदा से संबंधित डॉक्यूमेंट BRMBYS के Website www.mdmsbihar.org या BRMBYS कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

1. अग्रधन रू० 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो “बिहार राज्य गध्याह्न भोजन योजना समिति” पटना के नाम से देय होगा जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा जमा/प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक-03.02.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/या स्वयं निविदा बॉक्स में सचिव बिहार राज्य गध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग पटना-01 को भेजी जा सकती है। निर्धारित अवधि तक डाले गये निविदा मान्य होगा, विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा दिनांक- 03.02.2026 को अपराह्न 4.00 बजे को “बिहार राज्य गध्याह्न भोजन योजना समिति” बिहार पटना कार्यालय में निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। किसी परिस्थिति में यह समय बढ़ने पर इसकी सूचना निविदादाता को दूरभाष/ई0मेल0 के माध्यम से दे दी जायेगी।
4. सचिव, “बिहार राज्य गध्याह्न भोजन योजना समिति” बिहार पटना के पास किसी भी समय निविदा को संशोधित अथवा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।


(विनायक मिश्र)
निदेशक

गध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना-800001
अनुबंध के आधार पर वाहन हेतु अल्पकालीन निविदा का आमंत्रण

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार, पटना कार्यालय हेतु अनुबंध के आधार पर मासिक/दैनिक किराया पर वाहन यथा इनोभा (किस्टा), अर्टिगा एवं स्कार्पियो, वाहन की आवश्यकता है।

1. इच्छुक निविदादाता अलग-अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा कर सकेंगे। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग-अलग सील करने के उपरान्त निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/या स्वयं निविदा बॉक्स में दिनांक 03-02-2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना-800001 के पते पर भेजी जा सकती है।

2. निविदा के अन्य शर्त:-

- (i) निविदा की अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी एवं वह अवधि आगे बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना के मात्र प्रबंधन/क्रय समिति निर्णय के आलोक में निर्धारित दर पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए सेवा विस्तार की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता द्वारा मासिक किराया पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल 2026 एवं 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए।
- (iii) निविदादाता के फर्म को किसी भी समय आदेश दिये जाने के उपरान्त गंतव्य/निर्देशित स्थान के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी।
- (iv) कार्य हेतु स्वीकृत सफल फर्म/टूर एण्ड ट्रेभल्स का दर एक वर्ष के लिए मान्य होगी। फर्म द्वारा गाड़ी असमर्थता व्यक्त की जाने की स्थिति में अग्रधन वापस नहीं किया जा सकेगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जायेगी।
- (v) निविदा से संबंधित आवश्यक अभिलेख नहीं रहने पर या अपूर्ण अभिलेख देने की स्थिति पर निविदा को अमान्य करार कर दिया जायेगा।
- (vi) निविदादाता द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्र/अभिलेख उनके द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा इसकी मान्यता नहीं दी जायेगी एवं किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र/अभिलेख असत्य पाये जाने पर किसी भी समय इनकी निविदा रद्द करते हुए उनके विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई की जायेगी।
- (vii) नियमानुसार सभी करों की कटौती के उपरान्त ही मासिक किराया का भुगतान किया जायेगा।

- (viii) सफल निविदादाता को शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
- (ix) निविदा में सफल निविदादाता को अनुबंध करने से पूर्व Performance Security Money के रूप में वर्ष में प्राप्त होने वाले अनुमानित कुल राशि का 5% का बैंक ड्राफ्ट/Bank Guarantee (BG) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पटना के नाम से देय होगा, जो कार्यालय में जमा करना होगा, जो निविदा के समाप्ति के दो महीने के बाद कार्य के संतोषप्रद होने की स्थिति में लौटाया जायेगा।
- (x) वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था एक घंटा के अन्दर निविदादाता को करनी होगी। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं करने पर औसत दैनिक दर से दोगुनी दर की वसूली निविदादाता से की जायेगी।
- (xi) चालक के अस्वस्थ या अनुपस्थित होने पर तत्काल दूसरें चालक/वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
- (xii) वाहन के आवश्यक मरम्मत/अन्य कोई व्यय का वहन निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।
- (xiii) अंकित दर सभी करें, (GST को छोड़कर) निबंधन, चालक व्यय, प्रदुषण जाँच, बीमा, मरम्मत, एवं रख-रखाव के साथ मानी जायेगी।
- (xiv) टॉल-टैक्स एवं पार्किंग चार्ज वास्तविक खर्च के आधार पर संबंधित मूल अभिलेख/कागजात समर्पित करने पर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार, पटना द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (xv) बिहार राज्य में वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहन ही भाड़े पर लिये जायेंगे। यदि वाहन का वाणिज्यिक निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर वाहन का वाणिज्यिक निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित पूरी जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
- (xvi) निविदादाता को अच्छी स्थिति में (Well maintained) वाहन उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी तथा एक साल से ज्यादा पुराना वाहन की सेवा नहीं ली जायेगी। आवश्यकता अनुसार वाहन नया कर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- (xvii) वाहन परिचालन के दौरान किसी प्रकार की क्षति या आकस्मिक दुर्घटना के लिए समिति जिम्मेवार नहीं होगा।
- (xviii) प्रति-दिन की गणना हेतु प्रातः 06:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक एक दिन मान्य होगा।
- (xix) निविदादाता द्वारा वाहन नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में / उपलब्ध कराये गये वाहनों की खराब स्थिति एवं सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा Performance Security Money की जमा राशि का

जब्त करने के साथ-साथ उनकी एकरारनामा समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

- (xx) वाहन की रिपोर्टिंग समय सक्षम पदाधिकारियों के निदेशानुसार होगी।
- (xxi) समिति प्रबंधन को कार्यहित एवं सुविधा की दृष्टिकोण से स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या उससे अधिक फर्मो/ टूर एण्ड ट्रेम्बलस को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार होगा।
- (xxii) अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय निविदा का संशोधन/स्थगित या रद्द कर सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई भी दावा कहीं भी स्वीकार नहीं होगी।
- (xxiii) समिति प्रबंधन को यह सर्वाधिकार होगा कि बिना किसी कारण बतायें किसी भी समय एक महीना पूर्व की नोटिस देकर निविदा के अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा एवं इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xxiv) वाहनों का प्रकार एवं संख्या समिति के द्वारा तय कि जायेगी एवं निविदादाता उक्त आदेश को मानने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि किसी के द्वारा आदेश का पालन नहीं करने कि स्थिति में दूसरे निविदादाता को आदेश दिया जा सकेगा साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (xxv) निविदादाता वाहन का मासिक दर ईंधन रहित एवं ईंधन सहित अलग-अलग अंकित करेंगे।
- (xxvi) वाहन सामान्यतः पटना में चलेगी एवं आवश्यकतानुसार बिहार के अन्य जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण हेतु जायेगी।
- (xxvii) विवाद की स्थिति में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना-800001 का निर्णय मान्य होगा।
- (xxviii) वाहन चालक का Valid Driving Licence अनिवार्य होगा।
- (xxix) वाहन का सभी आवश्यक अभिलेख यथा बीमा, रोड कर, वाणिज्यिक पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- (xxx) दैनिक दर पर प्राप्त करने हेतु वाहन का आदेश दूरभाष से भी दिया जाएगा। दूरभाष पर दिये गये आदेश भी मान्य होगा।
- (xxxi) निविदा में किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने की स्थिति में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार, पटना के अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(क) तकनीकी निविदा

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात कमशः रखे जायेंगे।

- (i) निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेभलस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (ii) पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (iii) GST का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iv) अग्रधन (EMD), `10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक ड्राफ्ट **बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना** के नाम से देय होगा। जो निविदादाता MSME के अन्तर्गत आते हैं उन्हें अग्रधन की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। निविदा में असफल निविदादाता को अग्रधन (EMD) की राशि वापस की जायेगी एवं सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि को उनके अनुमानित वार्षिक देय राशि का 5% Performance Security Money से समायोजित की जायेगी।
- (v) निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेभलस का वार्षिक Turnover 10,00,000/ (दस लाख रु0 मात्र) होने का साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (vi) निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेभलस का कम से कम एक वर्ष का किसी सरकारी कार्यालय में वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेभलस द्वारा सरकारी कार्यालय में चलाये गये वाहन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (vii) MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) के अन्तर्गत पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों (Micro & Small Enterprises) को EMD से छूट का प्रावधान है।
- (viii) इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा की उन्हें केन्द्र/राज्य सरकार/किसी अन्य सरकारी संगठन के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
- (ix) निविदादाता द्वारा वाहन चालक को प्रति रात्री विश्राम का दर भी प्रत्येक वितीय निविदा में अंकित करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा
(A) मासिक दर (ईंधन रहित)
(GST को छोड़कर एवं चालक, वाहन का रख-रखाव सहित)

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन मॉडल एवं वर्ष (स्पष्ट रूप से अंकित करें)	माईलेज प्रति लीटर	प्रति रात्री विश्राम दर	मासिक दर (GST को छोड़कर) ईंधन रहित (चालक, रख रखाव आदि सहित)	
					अंको में	शब्दों में
1.	Toyota Innova Crysta (AC)	2026				
		2025				
2.	Ertiga (AC)	2026				
		2025				
3.	Mahendra Scorpio (AC)	2026				
		2025				

(B) दैनिक दर (ईंधन सहित)

दैनिक दर प्रति किलोमीटर (GST को छोड़कर) ईंधन सहित (चालक, वाहन का रख-रखाव सहित)

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन मॉडल एवं वर्ष (स्पष्ट रूप से अंकित करें)	न्यूनतम कि०मी० प्रति दिन	दैनिक दर प्रति किलोमीटर (GST को छोड़कर) ईंधन सहित (चालक, रख रखाव आदि सहित)	
				दर प्रति किलोमीटर (अंको में)	शब्दों में
1.	Toyota Innova Crysta (AC)	2026			
		2025			
2	Ertiga (AC)	2026			
		2025			
3.	Mahendra Scorpio (AC)	2026			
		2025			

नोट— 1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में देना आवश्यक होगा।

निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।